

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-4) विभाग

क्रमांक :- प. 19 (3) सा.प्र./गुप-4/14

जयपुर, दिनांक

2/11/15

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-तृतीय श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित तृतीय श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 4.39 लाख (अक्षरे चार लाख उन्चालीस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि लाखों में	राशि लाखों में
1	श्री कन्हैया लाल 3/8, गांधीनगर	1.किचन रिनोवेशन 2.विन्डो 3.एम. एस. डोर	0.70 0.04 0.05	0.79
2	श्री जस्रवन्त सिंह ई-25 गांधीनगर	1.ए.सी. शेड 2.रफकोटा स्टोन 3.टॉयलेट रिनोवेशन	0.33 0.48 0.15	0.96
3	श्री मोहिन्दर कुमार 3/25 गांधीनगर	1.शेड 2.रफ कोटा स्टोन कार्य	0.44 0.52	0.96
4	श्री सीताराम मीणा 3/64 गांधीनगर	1.लैट/बाथ निर्माण कार्य 2.किचन रिनोवेशन 3.शेड 4.जाली डोर 5.मैट टाईल्स	0.28 0.27 0.22 0.12 0.04	0.93
5	आराधना जैन ई-23 गांधीनगर	1.रफकोटा स्टोन 2.बाथ रिनोवेशन 3.टॉयलेट रिनोवेशन	0.45 0.15 0.15	0.75
		कुल योग रुपये	-	4.39

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800-अन्य व्यय (01) निर्माण [07] तृतीय एवं चतुर्थ व उनके समकक्ष श्रेणी के अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुरथापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जाए।

भवदीय
Sof-
(एम.के. खीची)
उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।

मध्य
उप शासन सचिव (क)